(15)

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांक : 11(57)विविध/गृह–10/2014 जयपुर, दिनांक : 8.1.15

अति.नि.अ.
16/1/15

परिपत्र

यत् यह राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि फौजदारी प्रकरणों में लम्बित विचारण के दौरान मुल्जिम अनुपस्थित होने पर अथवा गवाहों को तलब करने के लिए जारी आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट) पर यह रिपोर्ट आती है कि उक्त पते पर, इस नाम का व्यक्ति नहीं रहता। अधिकांश प्रकरणों में गवाहों के सम्मन बार–बार जारी होने पर भी तामील नहीं होते, जिससे प्रकरण का त्वरित विचारण नहीं हो पाता है। इसलिये न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले कम्प्युटरीकृत आरोप पत्र में मुल्जिम व गवाह की सूची में उनका स्थाई पता व वर्तमान पता, मोबाईल नं0 व लेण्ड–लाईन नं0, ई–मेल पता एवं यथा संभव मुल्जिम और गवाह की कम्प्यूटरीकृत फोटो भी चस्पा की जावे, जिससे उनकी पहचान के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न हो। गवाहों के टेलीफोन नं0 व ई–पता आरोप पत्र में लिखे जाने से अभियोजन अधिकारी गवाह को टेलीफोन करके या ई–मेल करके भी तलब कर सकता है।

नं. 67
16.1.15

8-1-2015
(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त परिपत्रानुसार न्यायालय में पेश किये जाने वाले आरोप पत्र में उक्त कार्यवाही समाविष्ट करना सुनिश्चित करे।
4. समस्त उप निदेशक अभियोजन।
5. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन।
6. रक्षित पत्रावली।

8-1-2015
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी